सं. 4/38/2008-P&PW (D)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन

नई दिल्ली-110003

दिनांक : 17 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ऐसे सरकारी सेवको के संबंध में पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत अंश की बहाली जिन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर लिया था–बुजुर्ग पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन देने के लिए दिनांक 01.01.2006 से नोशनल पेंशन में बढ़ोत्तरी।

इस विभाग के दिनांक 15.09.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. के तहत जारी और दिनांक 11.07.2013 के का. ज्ञा. सं. 4/30/2010-P&PW (D) के तहत यथासंशोधित ऐसे आमेलित व्यक्तियों के एक-तिहाई पेंशन की बहाली के आदेश जारी किए गए जिन्होंने आमेलन के समय एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली थी। इन ज्ञापनों के अनुसार, इन आमेलित लोगों के पूर्ण पेंशन को इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08-P&PW (A) में निहित निदेशो के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से सैद्धान्तिक रूप से संशोधित किया गया। बुर्जुग पेंशनभोगियों की मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन को नोशनल पेंशन के आधार पर विनियमित किया जाता है।

2. वर्ष 2006 से पहले के पेंशनभोगियों के पेंशन को दिनांक 24.09.2012 से बढ़ाने के लिए इस विभाग के दिनांक *28.01.2013 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08-P&PW (A) के तहत निर्देश जारी किए गए। तदनुसार, आमेलित* पेंशनभोगियों के नोशनल पेंशन को भी इस विभाग के दिनांक 03.04.2013 के समसख्यक का. ज्ञा. के तहत दिनांक 28.01.2013 के पूर्वोल्लिखित का. ज्ञा. में निहित निर्देशो के अनुसार दिनांक 24.09.2012 से बढ़ाया गया।

3. 2006 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के पेंशन/कुटुंब पेंशन में इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के अनुसरण में दिनांक 24.09.2012 के बजाय दिनांक 01.01.2006 से संशोधन करने के लिए इस विभाग के दिनांक 30.07.2015 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08-P&PW (A) के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार आमेलित पेंशनभोगियों के नोशनल पेंशन में भी दिनांक 30.07.2015 के उल्लिखित का.ज्ञा. में निहित निर्देशों के अनुसार दिनांक 24.09.2012 के बजाय दिनांक 01.01.2006 से संशोधन किया जाएगा और बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए इस प्रकार की संशोधित नोशनल पेंशन पर मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन स्वीकार्य होगी।

4. इसे वित मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 18.01.2016 के आई डी सं. 1(5)/EV/2012 के तहत जारी किया जाता है।

(हरजीत सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार

24624752

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

(डाकसूची के अनुसार)